**संख्या-25/2021/745/33-3-2021-33/2020**

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2021**

**विषय- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 के लिए संस्तुत निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C..-XV/FCD/2020-25 दिनांक 26.03.2021, वित्त संसाधन (वि0आ0 एवं के0स0) अनुभाग के पत्र संख्या-एफ0सी0 सी0ए0-135/दस -2021-2 /2020 दिनांक 20.03.2021 एवं आपके पत्र संख्या-8/5157/2021-8/98/2020-21 दिनांक 30-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 243800.00 लाख में से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(1)** निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(2)** इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की धनराशि के उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1817/33-3-2020-33/2020 दिनांक 24.08.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

**(3)** पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(4)** कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

**(5)** निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

**(6)** धनराशि के आहरण की सूचना ,बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

**(7)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

**(8)** उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृति की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

**(9)** उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

**(10)** शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

**(11)** वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

**(12)** पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित द्वितीय किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 243800.00 लाख निम्नवत सारिणी के अनुसार अवमुक्त की जायेगी:-

**(धनराशि रुपयें में )**

| **क्र0 सं0** | **जनपद** | **जिला पंचायत** | **क्षेत्र पंचायत** | **ग्राम पंचायत** | **योग (3+4+5)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **आगरा** | 60778814 | 60778814 | 283634464 | 405192092 |
| 2 | **अलीगढ़** | 55750532 | 55750532 | 260169149 | 371670213 |
| 3 | **अम्बेडकर नगर** | 48071376 | 48071376 | 224333090 | 320475842 |
| 4 | **अमेठी** | 43507560 | 43507560 | 203035280 | 290050400 |
| 5 | **अमरोहा** | 32896223 | 32896223 | 153515706 | 219308152 |
| 6 | **औरैया** | 28181393 | 28181393 | 131513167 | 187875953 |
| 7 | **अयोध्या** | 47606329 | 47606329 | 222162868 | 317375526 |
| 8 | **आजमगढ़** | 98261869 | 98261869 | 458555388 | 655079126 |
| 9 | **बागपत** | 23796733 | 23796733 | 111051420 | 158644886 |
| 10 | **बहराइच** | 75448047 | 75448047 | 352090885 | 502986979 |
| 11 | **बलिया** | 66931718 | 66931718 | 312348017 | 446211453 |
| 12 | **बलरामपुर** | 47926975 | 47926975 | 223659215 | 319513165 |
| 13 | **बाँदा** | 39111579 | 39111579 | 182520703 | 260743861 |
| 14 | **बाराबंकी** | 68434225 | 68434225 | 319359714 | 456228164 |
| 15 | **बरेली** | 70992819 | 70992819 | 331299824 | 473285462 |
| 16 | **बस्ती** | 50752021 | 50752021 | 236842764 | 338346806 |
| 17 | **भदोही** | 30130105 | 30130105 | 140607158 | 200867368 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **बिजनौर** | 66845585 | 66845585 | 311946062 | 445637232 |
| 19 | **बदायूँ** | 61028524 | 61028524 | 284799780 | 406856828 |
| 20 | **बुलन्दशहर** | 62932616 | 62932616 | 293685540 | 419550772 |
| 21 | **चन्दौली** | 41203826 | 41203826 | 192284520 | 274692172 |
| 22 | **चित्रकूट** | 23414134 | 23414134 | 109265959 | 156094227 |
| 23 | **देवरिया** | 63633157 | 63633157 | 296954731 | 424221045 |
| 24 | **एटा** | 36649877 | 36649877 | 171032758 | 244332512 |
| 25 | **इटावा** | 29786722 | 29786722 | 139004705 | 198578149 |
| 26 | **फर्रूखाबाद** | 34985621 | 34985621 | 163266231 | 233237473 |
| 27 | **फतेहपुर** | 55656773 | 55656773 | 259731606 | 371045152 |
| 28 | **फिरोजाबाद** | 39254533 | 39254533 | 183187819 | 261696885 |
| 29 | **गौतम बुद्ध नगर** | 7944098 | 7944098 | 37072462 | 52960658 |
| 30 | **गाजियाबाद** | 16385088 | 16385088 | 76463743 | 109233919 |
| 31 | **गाजीपुर** | 77962789 | 77962789 | 363826348 | 519751926 |
| 32 | **गोण्डा** | 76925081 | 76925081 | 358983712 | 512833874 |
| 33 | **गोरखपुर** | 78955185 | 78955185 | 368457531 | 526367901 |
| 34 | **हमीरपुर** | 24976493 | 24976493 | 116556966 | 166509952 |
| 35 | **हापुड़** | 22079343 | 22079343 | 103036935 | 147195621 |
| 36 | **हरदोई** | 87894244 | 87894244 | 410173138 | 585961626 |
| 37 | **हाथरस** | 28717983 | 28717983 | 134017256 | 191453222 |
| 38 | **जालौन** | 28813545 | 28813545 | 134463209 | 192090299 |
| 39 | **जौनपुर** | 94145508 | 94145508 | 439345702 | 627636718 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | झाँसी | 33487091 | 33487091 | 156273091 | 223247273 |
| 41 | कन्नौज | 32869110 | 32869110 | 153389181 | 219127401 |
| 42 | कानपुर देहात | 38072473 | 38072473 | 177671542 | 253816488 |
| 43 | कानपुर नगर | 38518166 | 38518166 | 179751443 | 256787775 |
| 44 | कासगंज | 28028260 | 28028260 | 130798548 | 186855068 |
| 45 | कौशाम्बी | 31147671 | 31147671 | 145355796 | 207651138 |
| 46 | खीरी | 88075945 | 88075945 | 411021077 | 587172967 |
| 47 | कुशीनगर | 70158580 | 70158580 | 327406708 | 467723868 |
| 48 | ललितपुर | 30505831 | 30505831 | 142360544 | 203372206 |
| 49 | लखनऊ | 30483176 | 30483176 | 142254819 | 203221171 |
| 50 | महराजगंज | 55056889 | 55056889 | 256932148 | 367045926 |
| 51 | महोबा | 20342854 | 20342854 | 94933317 | 135619025 |
| 52 | मैनपुरी | 37401492 | 37401492 | 174540294 | 249343278 |
| 53 | मथुरा | 40602067 | 40602067 | 189476314 | 270680448 |
| 54 | मऊ | 37905407 | 37905407 | 176891898 | 252702712 |
| 55 | मेरठ | 39420148 | 39420148 | 183960689 | 262800985 |
| 56 | मिर्जापुर | 54034723 | 54034723 | 252162038 | 360231484 |
| 57 | मुरादाबाद | 44824781 | 44824781 | 209182312 | 298831874 |
| 58 | मुजफ्फरनगर | 51396745 | 51396745 | 239851479 | 342644969 |
| 59 | पीलीभीत | 42098183 | 42098183 | 196458188 | 280654554 |
| 60 | प्रतापगढ़ | 67819656 | 67819656 | 316491727 | 452131039 |
| 61 | प्रयागराज | 99561356 | 99561356 | 464619683 | 663742395 |
| 62 | रायबरेली | 61101715 | 61101715 | 285141335 | 407344765 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | **रामपुर** | 40734258 | 40734258 | 190093205 | 271561721 |
| 64 | **सहारनपुर** | 57294681 | 57294681 | 267375180 | 381964542 |
| 65 | **सम्भल** | 41536155 | 41536155 | 193835389 | 276907699 |
| 66 | **सन्त कबीर नगर** | 35200355 | 35200355 | 164268321 | 234669031 |
| 67 | **शाहजहाँपुर** | 57329540 | 57329540 | 267537855 | 382196935 |
| 68 | **शामली** | 22166855 | 22166855 | 103445321 | 147779031 |
| 69 | **श्रावस्ती** | 25673815 | 25673815 | 119811134 | 171158764 |
| 70 | **सिद्धार्थ नगर** | 53078502 | 53078502 | 247699674 | 353856678 |
| 71 | **सीतापुर** | 94995990 | 94995990 | 443314620 | 633306600 |
| 72 | **सोनभद्र** | 44880154 | 44880154 | 209440720 | 299201028 |
| 73 | **सुल्तानपुर** | 53542391 | 53542391 | 249864489 | 356949271 |
| 74 | **उन्नाव** | 62923909 | 62923909 | 293644910 | 419492728 |
| 75 | **वाराणसी** | 45962033 | 45962033 | 214489486 | 306413552 |
| | **कुल योग** | **3657000000** | **3657000000** | **17066000000** | **24380000000** |

**2-** उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2020-21 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301-पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान - 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

**( मनोज कुमार सिंह )**
**अपर मुख्य सचिव।**

**<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- समस्त मण्डलायुक्त।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

8- संबंधित बैंकों को।

9- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

10- वित्त ( व्यय नियंत्रण ) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता ) अनुभाग ।

12- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

13- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

14- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( गिरिजेश कुमार )**

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।